

कोलोन, जर्मनी में दिनांक 07 से 11 अक्टूबर 2023 तक आयोजित अनुगा फूड फेयर 2023 में भारतीय पवेलियन के डिजाइन और निर्माण के लिए बोलियां जमा करने हेतु संदर्भ की शर्तें

1. आवश्यकताएं:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा "अनुगा फूड फेयर 2023" में भाग लिया जा रहा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है और जो उत्तरी अमरीकन बाजार में भारत के कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अपना पवेलियन स्थापित करेगा। "अनुगा फूड फेयर 2023, कोलोन, जर्मनी में दिनांक 07 से 11 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है (इसके बाद "इवेंट" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

इवेंट के लिए भारतीय पवेलियन का कुल क्षेत्र 300 वर्ग मीटर है। पवेलियन का लेआउट संलग्न है।

2. बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर इस इवेंट के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

2.1 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैक / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सिस्टर संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।

2.2 भारत से बाहर आयोजित अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में पवेलियन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा, डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।

- 2.3 सीए अभ्यास द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले पिछले 5 वर्षों (लेखापरीक्षित/अनलेखापरीक्षित) के दौरान तीन वर्षों में से रु. 5,00,00,000/- का औसत टर्नओवर।
- 2.4 नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है, जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 2.5 एक स्व-प्रमाणित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

3. कार्य-क्षेत्र

I. थीम/कॉमन क्षेत्र में (प्रदर्शक स्टॉल के अतिरिक्त):

1.1 थीम क्षेत्र सामान्य लगभग 36 वर्ग मीटर क्षेत्र में मीटिंग लाउंज और वेट सैंपलिंग क्षेत्र शामिल होगा।

- i. प्रस्तावित एपीडा पवेलियन को सामान्य क्षेत्र और प्रतिभागी के क्षेत्र सहित पूरी लकड़ी सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया जाएगा।
- ii. ग्लास, ऐक्रेलिक या लाइक्रा सामग्री पर बैकलिट कोलाज की पृष्ठभूमि वाला रिसेप्शन।
- iii. दोनों तरफ फ्रंट ट्रांस लाइट के साथ कस्टम बिल्ट रिसेप्शन टेबल लोगो और प्रदर्शित भारत जैविक और एपीडा।
- iv. एपीडा के लिए एक मीटिंग लाउंज जो ग्लास/ऐक्रेलिक या समकक्ष सामग्री से घिरा हुआ हो, जिसमें थीम क्षेत्र के लिए एक ही प्रवेश द्वार है। लाउंज में कम से कम 6-8 लोगों के बैठने की क्षमता वाला सोफा सेट, सेंटर टेबल, स्टोर और ओपन मीटिंग एरिया (उपलब्धता और अधिकतम स्थान के उपयोग के अनुसार) होगा।
- v. बैठक के लिए जगह की उपलब्धता के अनुसार कुर्सियों के साथ पर्याप्त रूप से

व्यवस्थित सोफे और टेबल के साथ मीटिंग रूम।

- vi. चाय/काँफी, पीने के पानी, रेफ्रिजरेटर आदि के प्रावधान के साथ पेंटी सहित एक भंडारण क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।
- vii. दूर स्थान से भारत की भागीदारी की उचित दृश्यता के लिए आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम ऊंचाई पर दो तरफा बैकलिट ग्राफिक्स के साथ वन इंडिया ब्रांडिंग।
- viii. सामान्य क्षेत्र में दस बैक लिट ग्राफिक पैनल कम से कम 6 "X3" फीट साइज़ के प्रदान किए जाएंगे।
- ix. इसके अतिरिक्त पवेलियन/स्टॉल, स्टॉल्स की ऊंचाई के निर्माण की शर्तों के लिए आप www.anuga.com का संदर्भ लें।
- x. पवेलियन पूरी तरह से पर्याप्त सफेद रोशनी के साथ उज्ज्वल रूप से प्रकाशित किया जाएगा जिससे पूरे पवेलियन में अंधेरे न हो।
- xi. वेंडर दूतावास के अधिकारियों, वीआईपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के लिए दैनिक आधार पर 5-6 बुके की व्यवस्था करेगा और इवेंट के दिनों के दौरान एपीडा द्वारा निर्देशित उनके लिए जलपान (चाय, काँफी, शीतल पेय और स्नैक्स) की व्यवस्था करेगा।
- xii. इवेंट स्थल पर प्रचार सामग्री हेतु लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना।
- xiii. ब्रोशर आदि प्रदर्शित करने के लिए स्टैंड प्रदान किए जाए।

1.2 वेट सैम्पलिंग क्षेत्र: बासमती बिरयानी (शाकाहारी और गैर शाकाहारी) के लिए एक वेट सैम्पलिंग क्षेत्र और श्री अन्न (मिलेट्स) के विभिन्न व्यंजनों, जैसे, खिचड़ी, दलिया, पोहा, इडली आदि का नमूना लेना और डिस्प्ले काउंटर, शेल्व, माइक्रोवेव और विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना।

II ब्रांडिंग और प्रचार

- आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार बैकलिट ब्रांडिंग और एपीडा के भारतीय पवेलियन की अधिकतम ऊंचाई से दृश्यता।
- एपीडा पवेलियन का समग्र स्वरूप समकालीन होना चाहिए और आधुनिक भारत के रंग और जीवंतता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत की उपयुक्त बैकलिट ब्रांडिंग हर जगह अपनाई जाएगी।
- जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होगी ताकि फाइनल गेट अप में रिकल्स न पड़ें। सामान्य ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार-सफेद लाइट होगी।
- प्रतिदिन भारतीय पवेलियन के कार्यक्रमों की वीडियो क्लिप तैयार करना और एपीडा की मंजूरी लेने के बाद उसे यूट्यूब , ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड करना।
- 300 पेनड्राइव में एपीडा ब्रोशर , रेसिपी बुक और प्रदर्शकों की निर्देशिका का विकास और तैयारी।
- बासमती चावल बिरयानी और श्री अन्न (मिलेट्स) और इसके उत्पादों के गीले नमूने के लिए, बिरयानी और श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित उत्पादों को तैयार करने और परोसने के लिए एक भारतीय रेस्तरां की पहचान की जाए। मान्यता प्राप्त रेस्तरां को दो प्रकार की बिरयानी तैयार करने के लिए कहा जा सकता है एक शाकाहारी और अन्य मांसाहारी तथा बाजरे की विभिन्न वस्तुओं के साथ-साथ उनकी क्रॉकरी में प्रदर्शनी स्थल पर परिवहन और वितरण , परोसने के लिए 2 परिचारक और आवश्यक परोसने वाली सामग्री जैसे डिस्पोजेबल प्लेट , नैपकिन और चम्मच आदि की आपूर्ति करना। बिरयानी तैयार करने का शुल्क जो प्रतिदिन 20 किग्रा (मांसाहारी बिरयानी के लिए 10 किग्रा और शाकाहारी बिरयानी के लिए 10 किग्रा) होगा, और श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित उत्पाद एवं परोसने आदि को बोली में शामिल किया जाएगा। बिरयानी और श्री अन्न (मिलेट्स) आधारित व्यंजन तैयार करने के लिए वेंडर को बासमती चावल और श्री अन्न (मिलेट्स) प्रदान करना होगा।
- थीम क्षेत्र में मेंहदी टैटू की व्यवस्था।

- आयोजन के दौरान वितरण के लिए "श्री अन्न (मिलेट्स)" और "एपीडा" लोगो के साथ ऑर्गेनिक कॉटन से बने 300 कॉटन बैग।
- स्टॉल पर आने वाले वीआईपी और गणमान्य लोगों को @ 5000 रुपये के 20 गिफ्ट आइटम दिए जाएंगे।

III प्रदर्शक स्टाल:

चयनित बोलीदाता को निम्नलिखित गतिविधियों को करने की आवश्यकता होगी:

- i) सभी व्यक्तिगत बूथ/स्टॉल ऑक्टानॉर्म सह मैक्सिमा में होने चाहिए और पूरे क्षेत्र में आयोजकों द्वारा अनुमत ऊंचाई तक भारत ब्रांडिंग होनी चाहिए और एक आधुनिक समकालीन रूप देना चाहिए।
- ii) एजेंसी को अधिकतम 9 वर्ग मीटर के स्टालों का प्रस्ताव देना होगा जो निर्यातकों के लिए लेआउट के अनुसार एपीडा पवेलियन के लिए आवंटित क्षेत्र में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और खरीदारों/आगंतुकों के साथ बातचीत के लिए क्षेत्र में बनाए जाए।
- iii) निर्यातकों के लिए 9 वर्ग मीटर के प्रत्येक स्टाल को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित फर्नीचर और मल्टीपल से लेकर बड़े स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे:
 - बैकलिट व्यक्तिगत बोर्ड,
 - तीन कुर्सियों के साथ एक गोल मेज,
 - एक अपशिष्ट कागज की टोकरी,
 - 6 प्रदर्शन अलमारियां,
 - मल्टिप्लग के साथ एक पावर प्वाइंट
 - स्टाल में नया कालीन
 - फ्रंट लिट पोस्टर के साथ स्टोरेज के साथ एक लॉकेबल काउंटर (आभूषण शोकेस)

- 100 वाट की 6 लाइट या प्रत्येक की आवश्यकता आधारित पर्याप्त प्रकाशयुक्त।
 - आवश्यकता और एपीडा के विवेक पर स्टॉल क्षेत्र भी बदला जा सकता है।
- iv. प्रत्येक 9 वर्ग मीटर स्टाल के लिए 3' X 6' वर्ग फुट के आकार और संबंधित प्रदर्शकों से व्यवस्थित किए जाने वाले टीपी/डिजाइन के अनुसार उसके गुणकों में 3 पैनल पोस्टर तैयार करना। एजेंसी द्वारा तैयार और मुद्रित पैनल और पोस्टर आयाम में समान होंगे और मुद्रण गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे।

IV अन्य गतिविधियां:

- i) कार्यक्रम के दौरान सभी दिनों के लिए दो परिचारक और 2 परिचारिका सह दुभाषिया का प्रावधान।
- ii) डीवीडी प्लेयर/पेन ड्राइव के साथ 60 इंच के एक एलईडी वॉल का प्रावधान।
- iii) संपूर्ण कार्यक्रम के लिए हाई रेजोल्यूशन स्टिल फोटोग्राफी और पेन ड्राइव में मैट फिनिश के साथ 5x7 साइज के कम से कम 150 फोटो वाले 2 फोटो एलबम जमा करना।
- iv) एजेंसी को अनुमानित बिजली भार का आकलन करना होगा और एपीडा की ओर से अग्रिम बुकिंग करनी होगी। उक्त के लिए शुल्क और बिजली की खपत का भुगतान वेंडर द्वारा सहायक दस्तावेज जमा करने पर वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- v) एक ही हॉल में दोनों ब्लॉक में प्रत्येक दिन की शुरुआत से पहले पूरे पवेलियन के रखरखाव, उचित और नियमित सफाई के साथ भूनिर्माण और एपीडा पवेलियन की अग्नि सुरक्षा।
- vi) सभी तीन दिनों के लिए (दूतावास के अधिकारियों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों आदि) से आगंतुकों के लिए पीने के पानी, चाय, कॉफी, शीतल पेय और स्नैक्स की व्यवस्था।

- vii) कार्यक्रम के सभी दिनों के दौरान एपीडा के साथ पुष्टि में शो के आयोजकों की किसी भी अन्य विविध आवश्यकताओं/अनुपालन का पालन किया जाए।
- viii) वास्तविक के अनुसार लगभग 100 किग्रा प्रचार सामग्री का प्रेषण।
- ix) पूरे एपीडा पवेलियन की सफाई और रखरखाव।
- x) एपीडा के निर्देश के अनुसार व्यवसाय कार्यालय की आवश्यकताओं जैसे मुद्रण, फोटोकॉपी, इंटरनेट आदि की व्यवस्था एजेंसी द्वारा आवश्यकता के आधार पर की जाए।

5. सामान्य

- i) चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है। चयनित बोलीदाता आयोजन के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।
- ii) बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति और अन्य समर्थन प्रणाली आदि कार्यक्रम आयोजकों की अनुशंसाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उपरोक्त प्रावधानों की चयनित बोलीदाता द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होगी।
- iii) वेंडर द्वारा प्रदान किए गए सभी कर्मचारियों के लिए बैज की व्यवस्था।
- iv) यदि इन सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, तो एजेंसी को स्थान खाली करने से पहले स्थल प्राधिकरण और/या अन्य वेंडर, यदि कोई हो, के सभी बिलों का निपटान करना होगा।
- v) एजेंसी किसी भी शिकायत/आकस्मिक स्थिति के लिए पूरे शो में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी श्रमशक्ति (डेकोरेटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल) की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय पवेलियन के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं की किसी भी तत्काल आवश्यकता को डाउनटाइम से बचने/न्यूनतम करने के लिए कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाए।

- vi) एजेंसी को विदेश जहाँ व्यापार मेला/प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, की सभी सांविधिक आवश्यकताओं जैसे श्रमिकों के मुआवजे, पे रोल टैक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आदि को पूरा करना होगा। एजेंसी को संबंधित देश के कानूनों के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों के संबंध में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रिया/प्रणाली का पालन करना अपेक्षित है।
- vii) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कोलोन, जर्मनी में स्थल प्राधिकरणों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित सभी मंजूरी/एनओसी/अनुमति निष्पक्ष प्राधिकरण की संतुष्टि के बाद प्राप्त की गई हैं।

6. नियम एवं शर्तें

- i. एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।
- ii. बोली मूल्य सभी लागू करों सहित केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।
- iii. इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 2,00,000/- रु. (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।
- iv. एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए/श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।
- v. एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिनों के लिए होगी। एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।

- vi. एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।
- vii. एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अवधि या निश्चित अवधि के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।
- viii. एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।
- ix. एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नई और गुणवत्तापूर्ण कालीन उपलब्ध कराएगी।
- x. एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रस्तुति के समय दिखाई और प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- xi. एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।
- xii. संबंधित प्रदर्शकों से टीपी/डिजाइन के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए। समरूपता बनाए रखने के लिए एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में समान टेम्पलेट के साथ समान होंगे।
- xiii. वेंडर को अंतिम भुगतान के निपटान से पहले एपीडा को पवेलियन के अंतिम डिजाइन, एपीडा के लिए तैयार पैनल की सॉफ्ट कॉपी (सीडीआर प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में) एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ आगंतुक के विवरण (खरीदार सूची और पूछताछ) के साथ एपीडा को जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

xiv. एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- पवेलियन एवं ग्राफिक्स के डिजाइन का कॉपी राइट।
- डिजाइन योजना या थीम क्षेत्र के आकार में मामूली बदलाव।
- अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

7. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

7.1. अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को कार्यक्रम के नाम अर्थात्, दिनांक 4 सितम्बर, 2023 तक शाम 4 बजे तक लिफाफे में कोलोन, जर्मनी में दिनांक 7- 11 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित "अनुगा फूड फेयर 2023" का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोली पूर्व बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल, एपीडा, नई दिल्ली में दिनांक 29 अगस्त 2023 को शाम 4 बजे होगी।

7.2 कवर 1: तकनीकी बोली: अनुलग्नक I में उल्लिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें:

(अनुलग्नक 'I')

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य विवरण:	
<ul style="list-style-type: none">• एजेंसी का नाम व पता	
<ul style="list-style-type: none">• मुख्य कार्यकारी का नाम व पदनाम	
<ul style="list-style-type: none">• पेट्रोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी का प्रोफाइल	
<ul style="list-style-type: none">• ट्रैक रिकॉर्ड - समान प्रकृति के कार्य को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें)।• कंपनी के पास पिछले दो वर्षों के कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ देश के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों पवेलियन (विज्ञापन और मुद्रण को छोड़कर) में इवेंट मैनेजमेंट में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।	
<ul style="list-style-type: none">• पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक बोलीदाता के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठन के नाम पर।	
<ul style="list-style-type: none">• पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।	

<ul style="list-style-type: none"> • एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में ड्राफ्ट/अप्रतिसंहरणीय और सशर्त बैंक गारंटी के रूप में 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) के लिए ब्याज मुक्त बयाना जमा "ईएमडी"। अंतिम चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी। • एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है। 	
--	--

7.3 पवेलियन के कॉन्सेप्ट/डिजाइन के साथ लेआउट, सजावट योजना आदि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) की 3डी ईमेजस/प्रेजेंटेशन प्रदान करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से विभिन्न एंगल्स से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को दर्शाती हो। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा। 3डी प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिक्स आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए।

7.4 कवर 2: वित्तीय बोली: कार्यक्रम का नाम और "वित्तीय बोली" (अनुलग्नक II) लिखें:

7.4.1 निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना:

7.4.2 वित्तीय बोली में कर शामिल होंगे, हालांकि, भुगतान के चालान में, करों का अलग से उल्लेख किया जाएगा। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.4.3 केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत दिनांकित वित्तीय बोली। एकमुश्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक अलग लिफाफे में विधिवत मुहरबंद होना चाहिए।

अनुलग्नक II (वित्तीय बोली)

कोलोन, जर्मनी में दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2023 तक आयोजित “अनुगा फूड फेयर 2023”
में भारतीय पवेलियन के डिजाइन एवं निर्माण-कार्य हेतु वित्तीय बोलियां

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति वर्ग मीटर (जहां भी लागू हो)	कुल
1	उपरोक्त 3(I) (1.1) में उल्लिखित विवरण के अनुसार 3(II) में उल्लिखित ब्रांडिंग के अलावा थीम/18 वर्ग मीटर के सामान्य क्षेत्र का निर्माण-कार्य और साज-सज्जा। लाउंज में कम से कम 6-8 व्यक्तियों के बैठने का सोफा सेट, सेंटर टेबल, स्टोर और खुला बैठक क्षेत्र (उपलब्धता और अधिकतम स्थान के उपयोग के अनुसार) होंगे।		
2	उपरोक्त 3 (I) (1.2) के अनुसार वेट सैम्पलिंग व क्षेत्र।		
3	3 (II) में वर्णित विवरण के अनुसार ब्रांडिंग और प्रचार		
4	उपरोक्त 3 (III) के विवरण के अनुसार प्रदर्शक स्टाल।		
5	उपरोक्त 3 (IV) के विवरण के अनुसार अन्य गतिविधियां।		
6	प्रयोज्य कर		
7	कुल राशि (कर सहित)		

8. चयन प्रक्रिया

8.1 एपीडा में एक समिति बोलीदाताओं की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयनित बोलीदाताओं को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.2 प्रस्तुति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	स्कोर/वेटेज
1.	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन	30
2.	खाद्य उत्पादों के एक प्रबल स्रोत के रूप में भारत का महत्वपूर्ण चित्रण।	20
3.	एपीडा को आवंटित फ्लोर क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम।	10
4.	कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:	5
	5 करोड़ रु.	2 अंक
	5-10 करोड़ रु. से अधिक	3 अंक
	10 करोड़ रु. से अधिक	5 अंक
5.	समान प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पिछले कार्य। अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:	5
	5 वर्ष	2 अंक
	5-10 वर्ष से अधिक	3 अंक
	10 वर्ष से अधिक	5 अंक

9. वित्तीय बोलियों को खोलना

9.1 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

9.2 वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

9.3 चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के

पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

10. अपरिहार्य घटना

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11. विवाचन

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) उक्त को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत

और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

12. भुगतान की शर्तें

सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

- i) व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या समान राशि की बैंक गारंटी के एवज में कुल लागत के 50% तक का अग्रिम।
- ii) कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी (अधिकारियों) की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।
- iii) बोलीदाता को सामग्री और प्रस्तुति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

13. बोलियां प्रस्तुत करना

13.1 बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित प्रकार से एक मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोली जमा की जाएगी:

लिफाफा I : ईएमडी- नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में बयाना राशि।

लिफाफा II : सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक I (तकनीकी बोली)। लिफाफे को सील और “कोलोन, जर्मनी में दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2023 तक आयोजित “अनुगा फूड फेयर 2023 ” में एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा III : निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों व लेआउट योजना के अनुसार एपीडा पवेलियन की पूरी परियोजना के लिए सभी करों सहित भारतीय रुपये में बोली मूल्य के लिए विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-II (वित्तीय बोली)। लिफाफे को सील और कोलोन, जर्मनी में दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2023 तक आयोजित “अनुगा फूड फेयर 2023 ” में एपीडा पवेलियन के लिए वित्तीय बोली” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए।

लिफाफा - IV : लिफाफा I, II और III को लिफाफा - IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से सील कर दिया जाना चाहिए। लिफाफों (I, II, III और IV) पर बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से पूरे पते, दूरभाष: संख्या, ई-मेल के साथ लिखा जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफा (लिफाफा - IV) को **“कोलोन, जर्मनी में दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2023 तक आयोजित “अनुगा फूड फेयर 2023 ” में एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली”** के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत करना चाहिए।

14. कार्य-निष्पादकता आश्वासन

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य -क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितम्बर, 2023 शाम 4 बजे तक है।

निदेशक एपीडा
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3,
सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
खेल गांव के सामने,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली- 110 016